फा.सं. एनएनएम/7/2017-डब्ल्यूबीपी

भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांक : 24.01.2018

सेवा में

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव

विषय : राष्ट्रीय पोषण मिशन (एनएनएम) के गठन के लिए प्रशासनिक अनुमोदन के संबंध में।

महोदय/महोदया

मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार ने 2017-18 से शुरू करके 9046.17 करोड़ रुपये के तीन वर्षीय बजट के साथ राष्ट्रीय पोषण मिशन के गठन को मंजूरी प्रदान की है। अनुमोदन निम्नलिखित के लिए प्रदान किया गया है :

i. उपाध्यक्ष, नीति आयोग की अध्यक्षता में भारत की पोषण संबंधी चुनौतियों पर एक राष्ट्रीय परिषद का गठन;

ii. सरकारी स्रोत से एनएनएम के गठन के लिए प्रस्ताव की कुल लागत का वित्त पोषण (50 प्रतिशत अर्थात 4523.08 करोड़ रुपये) और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्गठन एवं विकास बैंक (आईबीआरडी) या अन्य बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी) (50 प्रतिशत अर्थात 4523.08 करोड़ रुपये)। भारत सरकार का शेयर तीन वर्ष की अबधिक के दौरान 2849.54 करोड़ रुपये के आसपास होगा;

iii. आईबीआरडी या अन्य एमडीबी से 4523.08 करोड़ रुपये का ऋण लेने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन;

iv. नीचे पैरा 6 में उल्लेख के अनुसार चरणबद्ध ढंग से एनएनएम की शुरूआत;

v. आईसीडीएस प्रणाली सुदृढ़ीकरण एवं पोषण सुधार परियोजना (आईएसएसएनआईपी) का एनएनएम में विलय;

vi. चूंकि नए एनएनएम के कार्य अनेक मंत्रालयों/विभागों से संबंधित हैं, मिशन सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्तर पर पोषण से संबंधित गतिविधियों के लिए शीर्ष संस्था के रूप में कार्यकारणी समिति के माध्यम से कारगर परिणाम प्राप्त करने हेतु इन कार्यों को संपन्न करने के लिए अधिकृत होगा;

vii. मिशन का उद्देश्य 0-6 आयुवर्ग के बच्चों में ठिगनेपन को वर्ष 2022 तक राष्ट्रीय स्तर पर 38.4 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करना है (मिशन 25);

viii. उपर्युक्त योजनाओं के कारगर कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रचालन के तौर-तरीकों में ऐसे संशोधन करना जो आवश्यक हो सकते हैं।

2. एनएनएम विभिन्न कार्यक्रमों अर्थात इस मंत्रालय की आंगनवाड़ी सेवा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और किशोरी योजना; स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की जननी सुरक्षा योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन; पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय स्वच्छ भारत मिशन; उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की सार्वजनिक वितरण प्रणाली; ग्रामीण विकास मंत्रालय की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना; पंचायती राज मंत्रालय के साथ पेय जल एवं शौचालय तथा शहरी विकास मंत्रालय के माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों के साथ अभिसरण सुनिश्चित करने के लिए है। कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए विभिन्न योजनाओं के योगदान का मानचित्रण अभिसरण कार्य योजना का आधार होगा। अभिसरण कार्य योजनाओं में निम्नलिखित शामिल होंगे :

i. ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक अभिसरण योजना (बीसीपी) नामक एक उपघटक के साथ जिला अभिसरण योजना (डीसीपी)। सभी बीसीडी का डीसीपी में अभिसरण होगा।
ii. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की अभिसरण योजना।

3. संबंधित मंत्रालयों/विभागों में अभिसरण की निगरानी के लिए नीति आयोग की अध्यक्षता में एक तकनीकी यूनिट का गठन किया जाएगा।

3.1. मिशन का उद्देश्य ऐसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वार्षिक आधार पर प्रोत्साहन प्रदान करना है जो लक्षित लाभार्थियों के पोषण स्तर में सुधार के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। अल्प पोषण तथा संबंधित पैरामीटरों में स्तर में कटौती के आधार पर निष्पादन का आकलन किया जाएगा। जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहन प्राप्त किया जाएगा वे केंद्र द्वारा संस्वीकृत प्रोत्साहन राशि से बेहतर निष्पादन करने वाले जिलों/ब्लॉक/ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन प्रदान करेंगे जिन्होंने संकेतकों में सुधार लाने में योगदान दिया है।

3.2. राष्ट्रीय स्तर पर 150 करोड़ रुपये की एक कारपस निधि सृजित की जाएगी तथा इससे प्राप्त ब्याज आय का उपयोग ऐसी आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों, आशा, एनएम की टीम को 1.50 लाख रुपये की दर से नकद प्रोत्साहन देने के लिए किया जाएगा जिन्होंने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में टीम के रूप में भाग लिया है और अल्प पोषण एवं रक्ताल्पता को घटाने में उल्लेखनीय योगदान किया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सिफारिश पर पुरस्कार वार्षिक आधार पर दिए जाएंगे तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा गठित की जाने वाली टीम द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा। विस्तृत दिशा-निर्देश बाद में जारी किए जाएंगे।

3.3. आईसीटी-आरटीएम अपनाने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रत्येक आंगनवाड़ी कार्यकत्री के लिए प्रति माह 500/- रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। यह प्रोत्साहन राशि कतिपय लक्ष्यों/मीलपत्थरों जैसे की डाटा की सही प्रविष्टि, आंगनवाड़ी कार्यकत्री स्तर पर गृहों का दोरा करना आदि की उपलब्धि से जुड़ी होगी।

4. **एनएनएम के लक्ष्य :**

4.1. एनएनएम के लक्ष्य 0-6 आयुवर्ग के बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा धात्री माताओं के पोषण स्तर में समयबद्ध ढंग से अगले तीन वर्षों के दौरान 2017-18 से शुरू करते हुए सुधार लाना है तथा इसके लिए निर्धारित लक्ष्य इस प्रकार हैं :

क्र.सं.	उद्देश्य	लक्ष्य
1	बच्चों (0-6 वर्ष) में ठिगनेपन को रोकना एवं कम करना	2 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 6 प्रतिशत तक
2	बच्चों (0-6 वर्ष) में अल्प पोषण (कम वजन) को रोकना एवं कम करना	2 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 6 प्रतिशत तक
3	छोटे बच्चों (6-59 माह) में रक्ताल्पता को कम करना	3 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 9 प्रतिशत तक
4	15-49 आयुवर्ग की महिलाओं तथा किशोरियों में रक्ताल्पता को कम करना	3 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 9 प्रतिशत तक
5	जन्म के समय कम वजन (एलबीडब्ल्यू) को कम करना	2 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 6 प्रतिशत तक

4.2. मिशन का उद्देश्य परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण अपनाकर जीवनचक्र की संकल्पना की माध्यक से चरणबद्ध ढंग से देश से कुपोषण को दूर करना है। मिशन समय पर सेवा प्रदायगी तथा मजबूत निगरानी और हस्तक्षेप की अवसंरचना के लिए तंत्रों का सुनिश्चय करेगा। मिशन का लक्ष्य 2022 तक 0-6 वर्ष के बच्चों में ठिगनेपन की समस्या को 38.4 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करना है।

5. **एनएनएम की शुरुआत :**

5.1. नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार चरणबद्ध ढंग से सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल किया जाना है :

वर्ष	शामिल किए जाने वाले जिले
2017-18	315 जिले * अनुलग्नक के अनुसार
2018-19	235 जिले (जिलों की सूची यथा समय भेजी जाएगी)
2019-20	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के शेष जिले

* 3 जिलों जो अनुलग्नक में सूचीबद्ध नहीं है, के संबंध में सूचना यथा समय प्रदान की जाएगा।

6.1. 2017-18 से शुरू करते हुए 3 साल की अबधि के लिए भारत सरकार से शेयर के रूप में एनएनएम की कुल लागत 2849.54 करोड़ रुपये होगी। वित्त पोषण के प्रस्तावित स्रोत के साथ वित्तीय प्रभाव निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं :

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	राशि	ईएपी के बगैर भारत सरकार का शेयर
2017-18	2602.75	819.87
2018-19	3526.08	1110.71
2019-20	2917.34	918.96
कुल	9046.17	2849.54
भारत सरकार का शेयर	2849.54	

6.2. राष्ट्रीय पोषण मिशन विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना होगी। इसे भारत सरकार की बजटीय सहायता (50 प्रतिशत) से वित्त पोषित किया जाएगा तथा 50 वित्त पोषण आईबीआरडी या अन्य एमडीबी से प्राप्त किया जाएगा। सरकारी बजटीय सहायता केंद्र तथा विधान सभा वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच 60:40, पूर्वोत्तर एवं हिमालयन राज्यों के लिए 90:10 तथा विधान सभा रहित संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100 प्रतिशत होगी। आईबीआरडी या अन्य एमडीबी, भारत सरकार, राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए लागत हिस्सेदारी अनुपात निम्नलिखित सारणी के अनुसार होगा :

श्रेणी	आईबीआरडी/एमडीबी से निधियां #	केंद्र सरकार	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)
केंद्रीय स्तर पर संपन्न की जाने वाली गतिविधियों के लिए	50 प्रतिशित	50 प्रतिशत	00
विधान सभा वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए	50 प्रतिशत	30 प्रतिशत	20 प्रतिशत
पूर्वोत्तर तथा हिमालयन राज्यों के लिए	50 प्रतिशत	45 प्रतिशत	5 प्रतिशत
विधान सभा रहित संघ राज्य क्षेत्रों के लिए	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	00

सक्षम प्राधिकारी द्वारा निधि के अनुमोदन के अधीन।

6.3. एनएनएम के मानदंडों के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा व्यय किया जाएगा तथा सभी डिवाइसें जीईएम के माध्यम से प्राप्त की जाएंगी।

6.4. आईबीआरडी या अन्य एमडीबी से वास्तविक वित्त पोषण में आर्थिक कार्य विभाग द्वारा निर्धारित वर्तमान प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा।

7. मिशन ने मुख्य रूप से निम्नलिखित गतिविधियों की परिकल्पना की है :

i. आईसीटी आधारित रियल टाइम निगरानी प्रणाली के माध्यम से सेवा प्रदायगी की निगरानी के लिए कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (सीएएस) तथा आईटी संबद्ध सेवा फिल्ड पदाधिकारियों को उपलब्ध कराई जाएगी।

ii. डाटा कैपचर करने के लिए सभी आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को स्मार्ट फोन तथा महिला पर्यवेक्षकों को टैबलेट प्रदान किए जाएंगे। ये डिवाइसे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर प्राप्त की जाएंगी तथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर

में पहले से लोड होंगी। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर डिवाइसों के लिए सिम कार्ड तथा डाटा केनेक्टविटी प्लान की खरीद की जाएगी।

iii. सभी लाभार्थियों जिसमें गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं, नवजात शिशु तथा 6 साल तक की आयु के बच्चे शामिल है, का वजन एवं कद को ठीक से रिकॉर्ड करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए विकास निगरानी डिवाइसे खरीदी जाएंगी। विकास निगरानी डिवाइसों में इनफैंटों मीटर, स्टैडियो मीटर, तुला (शिशु) तथा तुला (मां एवं बच्चा) शामिल होंगे। आंगनवाड़ी कार्यकत्री अल्पवजन, ठिगनेपन एवं विकास अवरुद्धता का पता लगाने के लिए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के माध्यम से हर माह वजन रिकॉर्ड करेगी तथा हर तिसरे महीने लंबाई/ऊंचाई रिकॉर्ड करेगी।

iv. आईसीटी-आरटीएम अपनाने हेतु आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक आंगनवाड़ी कार्यकत्री को प्रति माह 500/- रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह प्रोत्साहन राशि आंगनवाड़ी कार्यकत्री के स्तर पर कतिपय मीलपत्थरों/लक्ष्यों की प्राप्ति जैसे कि डाटा की सही प्रविष्टि, गृहों का दौरा करना आदि से जुड़ी होगी।

v. सभी सेक्टोरल कार्यक्रमों, विशेष रूप से कुपोषण को सीधे प्रभावित करने वाले कार्यक्रमों की नियमित निगरानी एवं समीक्षा सुनिश्चित करने तथा पोषण की कार्यवाइयों पर ज्ञान प्रबंधन प्रदान करने के लिए केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय पोषण संसाधन केंद्र - केंद्रीय परियोजना निगरानी यूनिट नामक एकल एकीकृत तकनीकी ढांचा होगा और इसी तरह राज्य पोषण संसाधन केंद्र - राज्य परियोजना यूनिट का सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गठन किया जाएगा।

vi. मिशन व्यापक भागीदारी के माध्यम से पोषण में सुधार लाने के एजेंडा को जन आंदोलन में परिवर्तित करने पर बल देगा। सामुदायिक संचेतना, पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से जागरूकता एवं आईईसी, मातृ समितियां, स्वयं सहायता समूह, सामाजिक संचेतना अभियान, सोशल मीडिया सहित मीडिया का उपयोग, ग्राम संपर्क अभियान, स्वैच्छिक कार्य आदि निम्नलिखित के माध्यम से शुरू किए जाएंगे (क) 1000 दिन की अबधि में महत्वपूर्ण मील पत्थरों के लिए समुदाय आधारित कार्यक्रम; (ख) पोषण व्यवहार परिवर्तन में सहायता के लिए सूचना, शिक्षा एवं संचार तथा हिमायत; (ग) व्यापक जन भागीदारी के माध्यम से जन आंदोलन।

vii. क्रमिक अधिगम दृष्टिकोण (आईएलए) के माध्यम से अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की क्षमता बढ़ाई जाएगी।

viii. अभिसरित पोषण कार्रवाई के तहत नवाचारों का विकास एवं कार्यान्वयन किया जाएगा ताकि पोषण के एक या अधिक वांछनीय परिणाम प्राप्त हो सकें। सफल प्रयोगों का आगे चलकर समान परिस्थितियों में बड़े प्लेटफॉर्म पर विस्तार किया जाएगा।

ix. चिकित्सा जटिलता रहित गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों का समुदाय आधारित प्रबंधन दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा (दिशा-निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे)।

x. (1) पोषण निगरानी प्रणाली और (2) फ्लेक्सी फंड के लिए भी प्रावधान है।

8. पुनर्गठित आईसीडीएस प्रणाली सुदृढ़ीकरण एवं पोषण सुधार परियोजना (चरण 1) इस समय 8 राज्यों के 162 जिलों में चल रही है। आईएसएसएनआईपी (चरण 1) को 30 जून 2018 तक कार्यान्वित किया जाएगा ताकि सभी राज्य सहमत संवितरण संबद्ध संकेतक (डीएलआई) के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। आईएसएसएनआईपी का एनएनएम में विलय किया जाएगा ताकि सकल बजटीय सहायता एवं विदेशी सहायता को आपस में जोड़ा जा सके और समेकित ढंग से एक साथ प्रयुक्त किया जा सके। आईएसएनआईपी राज्य जिन्होंने आईएसएसएनआईपी के तहत गतिविधियां पूरी कर ली है, को आईएसएसएनआईपी की विस्तारित अबधि अर्थात 30.06.2018 तक शेष डीएलआई को पूर कर लेना चाहिए।

9. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से राष्ट्रीय पोषण मिशन की तत्काल शुरुआत के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से मिशन के कार्यान्वयन के लिए नोडल अधिकारी नामित करने का भी अनुरोध है तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से चयनित जिलों में एनएनएम के तहत शामिल किए जाने वाले आंगनवाड़ी केंद्रों तथा आईसीडीएस परियोजनाओं की सूची की जांच करने तथा मंत्रालय को सही स्थिति से अवगत कराने का भी अनुरोध है।

आपका

(मनोज कुमार सिंह)

निदेशक

फोन नं. 23386553

प्रति प्रेषित :

1. सीईओ, नीति आयोग
2. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
3. सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
4. सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग
5. सचिव, ग्रामीण विकास
6. सचिव, पंचायती राज
7. सचिव, शहरी विकास
8. सचिव, व्यय विभाग
9. सचिव, आर्थिक मामले विभाग
10. सचिव, आवास एवं शहरी विकास मामले
11. सचिव, जनजातीय मंत्रालय
12. सचिव, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
13. सचिव, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय
14. सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

15. सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
16. सचिव, इलेक्ट्रॉनिकस और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
17. सामाजिक कल्याण विभाग/महिला एवं बाल विकास विभाग, सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से 52 प्रधान सचिव/सचिव

सूचना के लिए प्रति प्रेषित :

1. निजी सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्री
2. निजी सचिव, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
3. प्रधान निजी सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
4. निजी सचिव, संयुक्त सचिव(आर.के)
5. निजी सचिव, परियोजना निदेशक, डब्ल्यूबी

(मनोज कुमार सिंह)
निदेशक
फोन नं. 23386553

अनुलग्नक

2017-18 में राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत शामिल किए जाने वाले 315 जिलों की सूची :

राज्यों का नाम	क्र.सं.	जिलों का नाम	परियोजनाओं के नाम	आंगनवाड़ी केंद्रों की सं.*
अंडमान और निकोबार द्विप समूह	1	उत्तर और मध्य अंडमान	2	269
		कुल	**2**	**269**
आंध्र प्रदेश	1	करुनूल	16	3550
	2	अनंतपुर	17	5127
	3	विजयनगरम	17	4951
	4	वाई.एस.आर. (कुडापाह)	15	3471
	5	चित्तूर	21	4746
	6	विशाखापट्टनम	25	4951
	7	पश्चिम गोदावरी	28	3889
	8	प्रकासम	21	4236
	9	श्रीकाकुलम	18	4190
	10	पूर्वी गोदावरी	28	3889
	कुल		206	**43000**
अरूणाचल प्रदेश	1. पूर्व कामेंग		5	70
	कुल		**5**	**70**
असम	1	बारपेटा	10	2986
	2	दरांग	6	2163
	3	धुबरी	14	2956
	4	गोलपाड़ा	7	2491
	5	करीमगंज	7	1570
	कुल		**44**	**12166**

बिहार	1	सीतामढ़ी	18	3852
	2	नालंदा	20	2654
	3	कैमूर	11	1346
	4	वैशाली	17	3007
	5	शिवहर	5	597
	6	गया	25	3722
	7	पूर्णिया	15	2893
	8	जहानाबाद	7	999
	9	मधुबनी	21	3784
	10	मधेपुरा	13	2083
	11	लखीसराय	6	1010
	12	अरवल	5	587
	13	खगड़िया	7	1481
	14	बंका	11	1846
	15	कटिहार	16	2856
	16	समस्तीपुर	20	3852
	17	दरभंगा	19	3461
	18	रोहतास	20	2740
	19	अररिया	9	2156
	20	नवादा	14	2233
	21	औरंगाबाद	11	2135
	22	सुपौल	11	1976
	23	मुजफ्फरपुर	17	4006
	24	पूर्वी चम्पारण	28	4613
	25	किशनगंज	7	1748
	26	भागलपुर	17	2400
	27	मुंगेर	10	1364
	28	शेखपुरा	6	579
	29	सारण	21	3590
	30	जमुई	10	1661
	31	बेगूसराय	18	2568
	32	सहरसा	11	1687
	33	बक्सर	10	1529
	34	पश्चिमी चम्पारण	17	3392
	35	भोजपुर	15	2174
	36	पटना	23	4462

	37	गोपालगंज	14	2435
	कुल		**525**	**89478**
चंडीगढ़	1	चंडीगढ़	3	500
	कुल		**3**	**500**
छत्तीसगढ़	1	बस्तर	9	2040
	2	बीजापुर	6	1172
	3	दंतेवाड़ा	8	1057
	4	दुर्ग	8	1507
	5	जशपुर	17	4333
	6	कांकेर	8	2141
	7	कोरबा	10	2589
	8	महासमुंद	6	1795
	9	नारायणपुर	4	560
	10	रायपुर	8	1886
	11	राजनंदगांव	12	3159
	12	बस्तर	9	1687
	कुल		**105**	**23926**
दादर और नगर हवेली	1	दादर और नगर हवेली	2	303
		कुल	**2**	**303**
दमन और दीव (संघ राज्य क्षेत्र)	1	दीव	1	40
		कुल	**1**	**40**
गोवा	1	उत्तरी गोवा	6	707
	2	दक्षिण गोवा	5	551
		कुल	**11**	**1258**
गुजरात	1	आनंद	13	1993
	2	भावनगर	14	1698
	3	डांग	2	440
	4	दाहोद	19	3057
	5	खेड़ा	12	1979
	6	नर्मदा	6	952

	7	साबरकांठा	11	1921
	8	सुरेंद्रनगर	11	1355
	9	वडोदरा	12	2002
	10	वलसाड	12	1899
		कुल	**112**	**17296**
हरियाणा	1	मेवात	7	1150
	2	पानीपत	6	1045
		कुल	**13**	**2195**
हिमाचल प्रदेश	1	चंबा	7	1494
	2	हमीरपुर	6	1351
	3	शिमला	11	2154
	4	सोलन	5	1281
		कुल	29	**6280**
जम्मू और कश्मीर	1	उधमपुर	7	1480
		कुल	**7**	**1480**
झारखंड	1	चतरा	6	1124
	2	देवघर	10	1567
	3	धनबाद	8	2230
	4	दुमका	10	2057
	5	गढ़वा	9	1330
	6	गिरिडीह	14	2431
	7	गोड्डा	9	1791
	8	गुमला	11	1667
	9	हजारीबाग	13	1770
	10	जामतारा	6	1184
	11	कोडरमा	5	749
	12	लातेहार	7	771
	13	पाकुर	6	1167
	14	पलामू	14	2595
	15	साहेबगंज	9	1644
	16	सराइकेला खरसावन	9	1370
	17	पश्चिम सिंहभूम	16	2330
	18	लोहरदगा	5	749
		कुल	**167**	**28526**

कर्नाटक	1	बागलकोट	6	2221
	2	बल्लारी	8	2395
	3	बीदर	5	1893
	4	दावणगेरे	6	2112
	5	हावेरी	7	1918
	6	कोप्पल	5	1849
	7	यादगीर	4	1387
	8	बीजापुर	-	2289
	9	गुलबर्गा	-	3098
	कुल		**41**	**19162**
केरल	1	कन्नूर	21	2504
	2	मलप्पुरम	29	3808
	3	वायनाड	8	874
	कुल		**58**	**7186**
लक्ष्यद्वीप	1	लक्ष्यद्वीप	9	107
		कुल	**9**	**107**

मध्य प्रदेश	1	श्योपुर	6	1226
	2	बड़वानी	8	1784
	3	दतिया	9	2413
	4	सीधी	7	1903
	5	अलीराजपुर	6	2228
	6	शिवपुरी	9	2408
	7	शाजापुर	10	1807
	8	मोरेना	11	2607
	9	भिंड	10	2451
	10	भोपाल	10	1871
	11	रतलाम	10	2124
	12	डिंडोरी	7	1913

	13	रायसेन	7	1858
	14	झाबुआ	6	2706
	15	कटनी	7	1710
	16	पूर्व निमर	8	1682
	17	गूना	6	1660
	18	दमोह	8	1742
	19	ग्वालियर	10	1458
	20	छतरपुर	13	2059
	21	धार	16	3858
	22	अशोकनगर	5	1089
	23	पन्ना	6	1492
	24	उमरिया	4	763
	25	विदिशा	9	2371
	26	इंदौर	15	1839
	27	राजगढ़	10	2456
	28	नीमच	6	1112
	29	जबलपुर	13	2483
	30	उज्जैन	14	2127
	31	मंदसौर	9	1735
	32	छिंदवाड़ा	14	3057
	33	खरगोन (पश्चिम निमर)	11	2294
	34	बुरहानपुर	6	815
	35	टीकमगढ़	8	1778
	36	देवास	9	1860
	37	सिंगरौली	6	1551
	कुल		**329**	**72290**

महाराष्ट्र	1	अहमदनगर	23	5354
	2	अमरावती	17	3312
	3	बीड	15	3089
	4	बुलढाना	15	3308
	5	चंद्रपुर	17	2596

	6	धुले	11	2282
	7	गडचिरोली	13	2626
	8	गोंदिया	10	1819
	9	हिंगोली	7	975
	10	जलगांव	21	3054
	11	जलना	13	3700
	12	मुंबई	33	4115
	13	नागपुर	19	3555
	14	नांदेड़	19	4118
	15	नंदुरबार	12	2392
	16	नासिक	29	5909
	17	उस्मानाबाद	11	2024
	18	परभनी	12	1652
	19	सांगली	14	3109
	20	वर्धा	10	1568
	21	वाशिम	7	1170
	22	यवतमाल	17	2865
	कुल		**345**	**64592**
मणिपुर	1	चंदेल	5	968
	2	तामेंगलांग	5	651
	कुल		**10**	**1619**
मेघालय	1	पूर्वी खासी हिल्स	9	1288
	2	रिभोई	3	519
	3	पूर्व जयंतिया हिल्स		
	4	पश्चिम जयंतीया हिल्स	2	231
	5	पश्चिम खासी हिल्स	2	241
	कुल		**16**	**2279**
मिजोरम	1	लवंगतलाई	4	302
	2	सैहा	2	126
	कुल		**6**	**428**

नागालैंड	1	किफायर	3	204
	2	तुएनसांग	8	463
	कुल		**11**	**667**
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1	उत्तर पश्चिम	27	3088
	2	पश्चिम	18	1735
	कुल		**45**	**4823**
ओडिशा	1	सुबरनापुर	-	1539
	2	नबरंगापुर	10	2207
	3	मल्कानगिरी	7	1266
	4	केंदुझार	14	3257
	5	बलांगीर	14	2650
	6	रायगढ़	11	1947
	7	मयूरभंज	26	4706
	8	बौध	3	717
	9	कोरापुट	15	3264
	10	संबलपुर	10	1844
	11	बारगढ़	13	2899
	कुल		**123**	**24757**
पुददुचेरी	1	यनम	0	9
	कुल		**0**	**9**
पंजाब	1	फरीदकोट	3	545
	2	लुधियाना	16	287
	3	मंसा	5	840
	4	मुक्तसर	04	894
	कुल		**28**	**4766**

राजस्थान	1	अजमेर	11	1961

	2	अलवर	15	3462
	3	बांसवाड़ा	9	2119
	4	बरन	8	1574
	5	बाड़मेर	16	3558
	6	चित्तौड़गढ़	12	1788
	7	चुरू	9	1674
	8	दौसा	7	1347
	9	धौलपुर	5	1040
	10	डूंगरपुर	8	2117
	11	जयपुर	20	4254
	12	जालोर	8	1881
	13	झुंझुनू	9	1595
	14	जोधपुर	11	2541
	15	करौली	6	1314
	16	कोटा	6	1283
	17	पाली	11	1842
	18	प्रतापगढ़	6	1239
	19	राजसमंद	8	1168
	20	सिरोही	6	874
	21	टोंक	7	1486
	22	उदयपुर	14	3175
	23	भरतपुर	10	2083
	24	सवाईमाधोपुर	7	1122
	कुल		**229**	**46497**
सिक्किम	1	पश्चिमी जिला	2	316
		कुल	**2**	**316**
तमिलनाडु	1	अरियालुर	6	774
	2	डिंडीगुल	15	2035
	3	निलगिरी	4	486
	4	विल्लुपुरम	23	2940
	5	चेन्नई	12	1334
	कुल		**60**	**7569**

तेलंगाना	1	आदिलाबाद	18	4012
	2	हैदराबाद	5	940
	3	महबूबनगर	20	4916
	कुल		**43**	**9868**

त्रिपुरा	1	ढ़लाई	6	1282
	कुल		**6**	**1282**
उत्तर प्रदेश	1	आगरा	16	2978
	2	अलीगढ़	13	3039
	3	इलाहाबाद	22	4499
	4	अम्बेडकर नगर	10	2550
	5	अमरोहा	7	1430
	6	औरैया	8	1787
	7	आजमगढ़	23	5588
	8	बागपत	7	1335
	9	बहराइच	15	3094
	10	बलरामपुर	10	1879
	11	बांदा	9	1708
	12	बाराबंकी	16	3052
	13	बरेली	16	2857
	14	बस्ती	15	2700
	15	संत रवीदास नगर	7	1483
	16	बिजनौर	13	3235
	17	शाहजहांपुर	16	2937
	18	बुलंदशहर	16	3958
	19	चंदौली	10	1823
	20	चित्रकूट	6	959
	21	एटा	9	1864
	22	इटावा	9	1564
	23	फैजाबाद	12	2378
	24	फर्रुखाबाद	8	1752
	25	फतेहपुर	14	2910

	26	फिरोजाबाद	11	2540
	27	गाज़ियाबाद	5	1372
	28	गाजीपुर	17	4847
	29	गोंडा	17	3095
	30	गोरखपुर	21	4213
	31	हमीरपुर	8	1500
	32	हरदोई	20	3845
	33	हाथरस	8	1711
	34	जालौन	10	1777
	35	जौनपुर	22	5323
	36	झांसी	9	1381
	37	कन्नौज	9	1617
	38	कानपुर नगर	12	2134
	39	काशीराम नगर	7	2446
	40	कौशाम्बी	9	1777
	41	खेरी	16	3503
	42	कुशी नगर	15	4134
	43	लखनऊ	10	2716
	44	महाराजगंज	13	3135
Uttar Pradesh	45	महोबा	5	881
	46	मैनपुरी	10	1789
	47	मऊ	10	2587
	48	मेरठ	13	2076
	49	मिर्जापुर	14	2681
	50	मुरादाबाद	9	2742
	51	मुजफ्फरनगर	10	2320
	52	पीलीभीत	8	1944
	53	रायबरेली	22	3305
	54	रामपुर	8	2700
	55	संत के नगर	10	1767
	56	शाहजहांपुर	16	2912
	57	श्रावस्ती	6	925
	58	सिद्धार्थ नगर	15	3114
	59	सीतापुर	20	4275

	60	सोनभद्र	9	1825
	61	सुल्तानपुर	14	2549
	62	उन्नाव	17	3352
	63	वाराणसी	9	3945
	64	कानपुर देहट	11	1788
	कुल		**782**	**165902**
उत्तराखंड	1	चमोली	9	1078
	2	हरिद्वार	11	3181
	3	उडम सिंह नगर	10	2387
	4	उत्तर काशी	6	1052
	कुल		**36**	**7698**
पश्चिम बंगाल	1	बीरभूम	24	4776
	2	दीनाजपुर उत्तर	18	3737
	3	हावड़ा	22	4287
	4	मालदा	26	5584
	5	मुर्शिदाबाद	43	8493
	6	पुरुलिया	23	4843
	कुल		**156**	**31720**
समग्र योग	**315 जिलें**		**3551**	**700101**

* राज्यों / संघ शासित प्रदेशों से अनुरोध है कि वे आरआरएस पोर्टल के अनुसार एडब्ल्यूसी की संख्या, आईसीडीएस परियोजनाओं और एडब्ल्यूसी की सही संख्या को सूचित करें।